न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 132/2015

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 श्रीमती बादामी स्त्री सोहन।
2 छोटूराम पुत्र सोहन।
3 मोजीराम पुत्र सोहन।
4 गोदाराम पुत्र लक्ष्मण समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम पांचू खरकड़ा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
5 श्रीमती शान्ता पुत्री सोहन स्त्री रघुवीर जाति गुर्जर निवासी बोपिया तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 श्रीमती विधा देवी स्त्री बाबुलाल जाति गुर्जर निवासी पांचू खरकड़ा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
2 सरली देवी पुत्री छाजु स्त्री दयाराम।
3 धुमा पुत्री छाजु स्त्री कैलाश जाति गुर्जर निवासी दुरवोरा हरियाणा।
4 मूर्ति पुत्री छाजु स्त्री रोताश निवासी धानोता तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
5 बाबुलाल पुत्र छाजुराम जाति गुर्जर निवासी पांचू खरकड़ा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
6 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

भू प्रबन्ध अधिकारी एव

अपील विरूद्व अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 21.02.2014 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना बसिलसिले दावा उनवानी श्रीमती विधा देवी बनाम श्रीमती बादामी आदि दावा संख्या 331/2012

उपस्थित

1. श्री लक्ष्मण सिंह अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सोहनलाल अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 15-7-19

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा संख्या 331/2012 में पारित निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 21.02.2014 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 विधादेवी व रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 5 मृतक श्रीमती जडाव देवी के वारिसान है कि और से श्रीमती जडाव देवी ने अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 6 के विरूद्व एक दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के यहां प्रस्तुत किया उक्त दावे की अपीलांट पर विधिवत तामिल हुये बिना ही अपीलांट के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही किए जाने के बाद अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 12.04.2007 के द्वारा विवाद ग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 2,7,8,48,69,87,90, 104,110,135,222,354,329,353,358 कुल किता 15 कुल रकबा 6.70 है.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

तन ग्राम पांचू खरकड़ा के बाबत प्रारम्भिक डिक्री जारी की व तहसीलदार नीमकाथाना को रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव मय नक्शे के तैयार कर भिजवाने का आदेश दिया। तहसीलदार नीमकाथाना ने विभाजन सम्बंधी नियमों की पालना किए बिना व अपीलांट को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व कोई नोटिस व सूचना दिये बिना व मौके पर काबिज पक्षकारान की स्थिति के विपरित विभाजन प्रस्ताव के विरूद्व आपत्ति प्रस्तुत की योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव व अपीलांट द्वारा की गई आपत्ति को सही रूप से समझे व देखे बिना ही आपत्ति खारिज कर विरूद्व कानुन अपना निर्णय व डिक्री दिनांक 21.02.2014 पारित कर दिया जिसके विरूद्व अपीलांट की और से उपरोक्त कथनों अनुसार अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव के बारे में अपीलांट को कोई सूचना नही दी गई विभाजन प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार नही किये गये है अपितु रेस्पोडेंट के कहने से बनाये गये है। विभाजन बाई मिटस एण्ड बाउन्डस नही हुआ है विचारण न्यायालय में नियम 18 से 21 की पालना नही की गई है। अपीलांट की आपत्ति का तर्क संगत जवाब नही दिया गया है। नये नम्बरों से नामान्तकरण भरा गया है रकबे की कमी बेसी पर ध्यान नही दिया गया है विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2017 पेज 473 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट ने प्राथमिक डिक्री की अपील की थी जो खारिज को गई माननीय राजस्व मण्डल के निर्देशानुसार आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। जिनका निस्तारण कर अन्तिम डिक्री पारित की गई है। जो पक्षकार जहां काबिज था उसी प्रकार विभाजन किया गया है अपीलांट को आपत्ति का अधिकार नही है अपील

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

मियाद बाहर है विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जायें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया इस विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार नीमकाथाना के हस्ताक्षर है प्रस्तावित नजरी नक्शे पर भी तहसीलदार नीमकाथाना के हस्ताक्षर है। चूकि विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार नीमकाथाना के हस्ताक्षर है अत वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत से अपीलांट को कोई सहायता प्राप्त नही होती है। अपीलांट की आपत्ति रही है कि विभाजन बाई मिटस एण्ड बाउन्डस नही किया गया है पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि विभाजन मौके पर काबिज अनुसार एवं दर्ज हिस्से अनुसार ही किया गया है। सम्पूर्ण भूमि की किस्म बारानी है अत मूल्य में समान है इस तरह अच्छी व बुरी भूमि का बिन्दु विचारणीय नही है विचारण न्यायालय ने अपीलांट की आपत्ति पर विवेचन कर आपत्ति खारिज करते हुये विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है फलस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15-1-19 को सरे इजलास सुनाया गया।

15.1.19

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर